भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1977
दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र

1977. **डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों (एमएसी) की स्थापना के लिए क्या दिशानिर्देश हैं और महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान152 में कार्यरत एमएसी की संख्या कितनी है और इनमें प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या महाराष्ट्र से और अधिक एमएसी स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;
(ग) यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का ऐसे केन्द्रों को उन्नत करने का प्रस्ताव है और क्या उसने उनके स्थायी भवनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियां आवंटित की हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने इन केन्द्रों के कार्यकरण में कोई अनियमितताएं पाई हैं और उनके कार्यकरण और निधियों के उपयोग की जांच करने के लिए कोई निरीक्षण किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड.) पहले मिनी आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने का प्रावधान था जिसके लिए जनसंख्या मानदंड निम्नानुसार थे;

परियोजना	**जनसंख्या**	**मिनी आंगनवाड़ी केंद्र की संख्या**
ग्रामीण/शहरी परियोजनाएँ	150-400	1

जनजातीय/नदी/मरुस्थलीय/पर्वतीय/ और अन्य दुर्गम क्षेत्रों में परियोजनाएँ	150-300	1

भारत सरकार ने पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत विभिन्न जिम्मेदारियों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए प्रत्येक में एक कार्यकर्ती और एक सहायिका के साथ सभी मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नयन करने का नीतिगत निर्णय लिया है।

23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1,16,852 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में से 86,351 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को महाराष्ट्र राज्य सहित 20 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार उन्नयन करने की मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र राज्य में 13011 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र थे। इसने नियमित आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नयन के लिए प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र सरकार समग्र नीति और व्यापक योजना के लिए जिम्मेदार है और राज्य सरकारें दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत प्रति वर्ष 10000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से पांच वर्षों की अवधि में 50000 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण का प्रावधान है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के साथ समन्वय करते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए लागत मानदंड 7 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र से संशोधित कर 12 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र कर दिया गया है जिसमें 8.00 लाख रुपये एमजीएनआरईजीएस के तहत, 2.00 लाख रुपये 15वें वित्त आयोग (एफसी) (या किसी अन्य अनियोजित निधि) के तहत और 2.00 लाख रुपये एमडब्ल्यूसीडी द्वारा प्रति आंगनवाड़ी केंद्र निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात में केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच साझा किए जाएंगे। इसके अलावा, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं जैसे संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना(एमपीएलएडीएस), ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ), पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए), अल्पसंख्यक मामलों

के मंत्रालय के बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) इत्यादि से धनराशि प्राप्त करना जारी रखें।

मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को आंगनवाड़ी गतिविधियों की कुशल निगरानी और लाभार्थियों के लिए बेहतर सेवा प्रदायगी हेतु स्मार्टफोन के प्रावधान के साथ तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। मोबाइल एप्लिकेशन, पोषण ट्रैकर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वास्तविक रजिस्टरों को डिजिटल बनाता है। इससे उनके कार्य की गुणवत्ता में सुधार होता है और साथ ही उन्हें एक साथ चल रही सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए अधिक समय मिलता है।

*****